



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS (CEPI)

AND

THE INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

IN THE FIELD OF VACCINE RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION

Preamble

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU"), is made between:

(1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (hereinafter referred to as "CEPI"), with its office located at Skøyen Atrium, Askekroken 11, 0277, Oslo, Norway;

AND

(2) The Indian Council of Medical Research (hereinafter referred to as "ICMR") with its office located at Ansari Nagar New Delhi – 110029, India;

HEREINAFTER jointly referred to as the 'Parties' and severally as "Party":

WHEREAS ICMR is the apex body in India for the formulation and coordination of biomedical research. It is an autonomous body under the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India. Its research priorities coincide with the national health priorities towards prevention of communicable diseases and non-communicable diseases; improving reproductive and child health and nutrition; promoting basic medical sciences and drug research including traditional medicines. ICMR promotes biomedical research in India through intramural and extramural research.

WHEREAS CEPI is a not-for-profit Norwegian association ("forening") registered under Norwegian law, with registration number 917 687 811. CEPI's mandate is to accelerate the development of vaccines against emerging infectious diseases and to enable equitable access to those vaccines.

WHEREAS the Parties recognise that the broad nature of proposed cooperation includes coordination and cooperation to enhance the effectiveness of their respective and collaborative efforts to develop vaccines to address emerging and re-emerging infectious diseases. The Parties have agreed to enter into this MoU to establish a basis on which they may further develop their relationship and work towards achieving the shared goal of supporting the development and evaluation of accessible and affordable vaccines to prevent, treat and/or cure emerging and re-emerging infectious diseases.

DESIROUS of intensifying cooperation and collaboration between themselves and of establishing appropriate working arrangements for the satisfactory implementation of the MoU;

Have reached the following understanding:

Article 1: The Purpose/Objectives

This MoU outlines the shared objectives of the Parties and provides a framework for their coordination and cooperation to enhance the effectiveness of their respective and collaborative efforts to support the development and evaluation of accessible and affordable vaccines to prevent, treat and/or cure emerging and re-emerging infectious diseases.

Article 2: Areas of Cooperation

The Parties intend to strengthen their collaboration, in conformity with the mission and objectives of each Party. Initial collaborative activities may include:

- (i) Plan, develop and implement clinical trial protocols for vaccines against priority pathogens
- (ii) Capacity strengthening of health personnel and researchers
- (iii) Develop and conduct epidemiological studies
- (iv) Development of standards, assays and diagnostics
- (v) Development of an epidemiology data-driven prioritization process
- (vi) Co-sponsorship and co-convening of scientific meetings and conferences
- (vii) Other areas of cooperation as may be mutually determined

Article 3: Modalities of Cooperation/Funding arrangements

The implementation of any activities or projects between the Parties remains subject to contract. Before any activities can be implemented, both Parties shall discuss the issues involved to the satisfaction of each Party and enter into project or programme specific, comprehensive, definitive, legally binding agreements (each an "Agreement") to govern the relationship between the Parties, including without limitation each Party's rights, duties and responsibilities and financial contributions or other support (if any) with regard to such activities.

By entering into this MoU, the Parties do not intend to create any overlap with the activities of the existing collaboration between CEPI and the Department of Biotechnology of the Government of India through the Ind-CEPI Mission titled 'India Centric Epidemic Preparedness through Rapid Vaccine Development'.

This MoU imposes no fiscal, financial or other funding obligations on the Parties. Nothing in this MoU authorizes or is intended to obligate the Parties to expend, exchange, or reimburse funds, services, or supplies, or transfer or receive anything of value, or to enter into any contract, assistance agreement, interagency agreement, or other financial obligation. The Parties intend for any financial arrangement between the Parties to be subject to separate Agreements.

Each Party shall be fully responsible for its own costs and expenses in connection with the MoU including (without limitation) the preparation and negotiation of this MoU and any documents contemplated by them (unless otherwise agreed in writing). Either Party may end negotiations in relation to this MOU at any time without having to give reason for doing so or incurring any liability to the other Party or any third party.

Article 4: Governance and Management

The Parties shall establish a Joint Working Group (JWG) or Joint Steering Committee (JSC) consisting of delegates from each organization. The JWG shall convene a meeting once a year or as required. JWG sessions shall be held either in India or in Norway, or virtually, in accordance with what is of mutual convenience for the Parties. Each Party's expenses related to travel, including but not limited to visa entry, accommodation, per diem, health insurance and/or local transportation of its JWG members, shall be borne by the sending Party whereas the organizational expenses of the JWG meetings shall be borne by the host Party.

The JWG shall be responsible for:

- (i) Providing an overview and overall direction to the Parties' cooperation under this MoU and would be the final decision-making body with respect to any activities under the MoU;
- (ii) Review of the progress and recommending oversight and support mechanisms to both Parties for the smooth operation of the Parties' cooperation under this MoU;
- (iii) Identifying topical areas of particular strategic importance to the research cooperation between the Parties and shall propose/prioritize topics for joint funding.

Article 5: Intellectual Property Rights, Commercialization and Publication

Intellectual Property Rights:

(i) The Parties shall ensure appropriate protection of Intellectual Property Rights generated from cooperation pursuant to MoU, consistent with their respective laws rules and regulations and multilateral agreements to which countries of both Parties are party to.

(ii) The Parties shall set out the terms governing each Party's respective rights in any Intellectual Property and/or Data which may arise out of or in connection with activities or projects contemplated by this MoU in legally binding Agreement(s).

Commercialization:

(i) Commercialization is not anticipated under this MoU. However, in case of research results obtained through joint activities that arise under this MOU, it will be considered on a case to case basis under a separate agreement.

Publication:

- (i) Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the Parties pursuant to this MoU must acknowledge the ICMR-CEPI partnership and will be jointly owned by the Parties in accordance with standard academic practice. ICMR must be duly acknowledged in all publications and press releases concerning this MoU.
- (ii) The use of the name, logo and/or official emblem of the Parties on any publication, brochure, document and/or paper shall require prior permission of both the Parties. It must be ensured that the official emblem and logo is not misused.
- (iii) Each Party must obtain the prior written permission of the other Party before making any press releases, public announcements, or media statement with respect to the Parties' activities under this MoU or any Agreement.
- (iv) Each Party reserves the right to make any modifications for incorporation by the other Party in any proposed publication/press release concerning the Parties' activities under this MoU.

Article 6: Equitable Access and Benefit Sharing

- (i) ICMR recognizes CEPI's commitment to achieving equitable access to the outputs of all CEPI-supported programmes including vaccines, platforms, data, results, and materials. In particular, ICMR recognizes that CEPI's equitable access policy regarding epidemic vaccines in the context of an outbreak requires that appropriate vaccines are first available to populations, when and where they are needed, to end an outbreak or curtail an epidemic, regardless of ability to pay. CEPI's equitable access policy is intended to ensure that any broader benefits from vaccine-related research flow back to communities in need (including access to resulting vaccines), regardless of ability to pay.
- (ii) The Parties recognize the importance of ensuring open access to data, results and publications arising from its funding and to facilitate access to materials to accelerate vaccine development. Thus, scientists of the Parties are encouraged to publish, both jointly and individually, their findings, in any scientific or medical journal or other publication specifically related to the work undertaken in areas covered by this MoU.

(iii) CEPI Policies on "Open Access" require that a copy of the final manuscript of all research publications, journal articles, scholarly monologues and book chapters that relate to any project funded by CEPI must be deposited into PubMed Central (or Europe PubMed Central) or otherwise made freely available upon acceptance for publication or immediately after the publisher's official date of final publication. All peer-reviewed published research that is funded, in whole or in part, by CEPI shall be published in accordance with the open access principles of "Plan S" (available as of the Effective Date of this MoU at :https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/).

Article 7: Confidentiality

- (i) During the term of this MoU and for a period of five (5) years after its expiry, each Party, their affiliates, employees and agents shall not disclose any confidential information of the other Party. "Confidential Information" shall include any and all non-public information which by its nature or the manner of its disclosure is reasonably identifiable as Confidential Information.
- (ii) Neither Party shall make any public announcement relating to the outcomes of scientific research, commercialization or any other collaborative work arising out of or in connection with this MoU without the prior written consent of the other Party.
- (iii) All information and documents to be exchanged pursuant to the MoU will be kept confidential by the Parties and will be used subject to such terms as each Party may specify. The Party in receipt of the Confidential Information will not use it for purposes other than that specified by the Party disclosing the Confidential Information without the prior written consent of the disclosing Party.
- (iv) All Confidential Information shall remain the exclusive property of the disclosing Party. The Parties agree that the disclosure of Confidential Information does not grant or imply any license, interest or right to the Recipient in respect to any intellectual property right of the other Party.
- (v) Unpublished information, whether oral, in writing or otherwise, discovered or conceived by the scientists or technicians and exchanged under the provisions of this MoU will not be transmitted to a third party, unless otherwise agreed by the Parties in writing.
- (vi) Each Party acknowledges and agrees that it is a Data Controller (in the sense of the applicable data protection legislation) for the purposes of its rights and obligations under this MoU and shall be responsible for the storage, processing, transmission and protection of any Personal Data that it collects or otherwise acquires in connection with this MoU Clause in accordance with their respective applicable laws, including (i) the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 dated 27 April 2016 and any other EU or Member State legislation, regulation, recommendation or opinion replacing, adding to or amending, extending, reconstituting or consolidating the

- GDPR and (ii) Personal Data Protection laws of India including "Information Technology Act 2000" and the "Digital Personal Data Protection Act, 2023".
- (vii) Additional provisions regarding the transfer, sharing and processing of Personal Data (in the sense of the applicable data protection legislation) shall be included in all Agreements as required or in separate data transfer agreements in accordance with their respective applicable laws.

Article 8: Ethical issues/Transfer of Biological Material/Data Sharing

- (i) Both Parties acknowledge the importance of the protection of human and animal subjects in any health program. The Parties intend to follow all applicable laws, regulations and policy concerning the protection of human and animal subjects, including the transfer of biological materials. Approval from each Party is required prior to the implementation of any joint activities concerning or involving the transfer of biological materials.
- (ii) Any authorized personnel engaged in carrying out joint activities of CEPI and ICMR should also share their findings with institutions in India engaged in informing and/or shaping relevant policy. Such findings should be accompanied by an explanation of how the work informs policy and practice both in India and the rest of the world. The Parties encourage any personnel engaged in carrying out joint activities of CEPI and ICMR to put the data arising from their co-funded work into open access.
- (iii) CEPI Policies on "Open Data" require that data (including clinical trial data) and results (including negative results) arising from a project funded by CEPI must be disclosed publicly as soon as possible following completion of the funded project. Any such public disclosure must be consistent with the respective applicable laws and regulations of each country in particular as to the protection of personal privacy and personal data.

Article 9: Disputes

- (i) Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation and negotiations between the Parties.
- (ii) If no resolution is reached within 30 (Thirty) days following the date on which one party first notifies in writing to the other of its request that such a meeting be held, then, the Dispute shall be resolved by arbitration as per the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Rules there under, as amended from time to time.
- (iii) The unresolved dispute or difference whatsoever arising between the Parties out of or relation to the construction, meaning, scope, operation or effect of this MoU or the validity the breach thereof or in respect of any defined legal relationship associated therewith or derived there from dispute shall be submitted for arbitration to International Centre for Alternate Dispute Resolution (ICADR), an autonomous organization working under the aegis of the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Government of India. The Authority to appoint the arbitrator(s) shall be the ICADR. The Arbitration under this Clause and provision of

administrative services by ICADR shall be in accordance with the ICADR Arbitration Rules, 1996 and as per Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996. The award made in pursuance thereof shall be binding on the Parties. The venue of arbitration shall be New Delhi and the arbitration proceedings shall be conducted in English Language. The provision of this Clause shall not become inoperative notwithstanding the MoU expiring or ceasing to exist or being terminated or foreclosed.

(iv) This MoU and any Dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws of India.

Article10: Miscellaneous

- (i) No representations or warranties: Each Party acknowledges that no representations or warranties have been or will be given by the other Party or its representatives. Each Party agrees that neither the other Party nor any of its representatives shall have any liability as a result of reliance on any information supplied to it by or on behalf of the other Party in connection with the MoU, except as set out in any legally binding Agreement entered into between the Parties. For the avoidance of doubt, this provision shall not be interpreted to restrict liability for fraud.
- (ii) Third party rights: This MoU is for the benefit of the Parties and is not intended to benefit, or be enforceable by anyone else.
- (iii) No agency or partnership: Nothing in this MoU is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between the Parties, appoint one Party as the agent of the other Party, or authorise a Party to make or enter into any commitments for or on behalf of the other Party. Each Party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.
- (iv) Exclusivity: The Parties understand that their relationship is not exclusive and that entering into this MoU will not prevent either Party from associating with any other party for the purposes of conducting similar programmes or activities.
- (v) Survivability: If at any point one or more of the legally binding terms and conditions of this MoU are deemed to be unenforceable or void, the same shall be severable from the remainder of the Provision/MoU and the severable part may be substituted with a similar term or condition.
- (vi) Waiver: The failure to enforce or uphold any aspect of this MoU shall not constitute a waiver of any other aspect of the MoU.

Article 11: No intention to create legally binding obligations

This Memorandum of Understanding is not intended to create binding, legal obligations between the Parties. The purpose of this MoU is to capture the mutual understanding of the Parties on the basic principles of working together.

In the event the Parties decide to pursue one or more collaborative activities in future, they will enter into Agreement(s) which will include the appropriate agreed scope of work and budgetary requirements. For the avoidance of doubt, nothing in this MoU shall restrict the freedom of either Party to negotiate the terms of any Agreement(s) in accordance with its normal practice, policies and procedures.

Article 12: Duration

This MoU shall enter force on the date on which the last signature of the Parties is obtained and shall remain valid for a period of 5 years. It shall be renewed for a further term of 5 years.

Article 13: Termination

Either Party may terminate this MoU by giving 3 months advance written notice to the other. Expiration or termination of the MoU for whatever reason shall not affect the validity or enforceability of any Agreement which has been properly concluded and come into effect between the Parties (unless such Agreement provides otherwise).

Article 14: Amendment

Amendments, revisions or modification to this MoU may be proposed by either Party at any time during the term of the MoU. The Parties may amend any part of this MoU by mutual consent in writing.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Organizations, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at ____ on ___ day of ____ 2025 in two originals, each in English and Hindi languages, both text being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the

For the Indian Council of Medical Research (ICMR)

English text shall prevail.

Dr. Rajiv Bahl

Secretary DHR & Director General, ICMR

For the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)

Dr. Richard Hatchett

Chief Executive Officer, CEPI





वैक्सीन अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष क्षेत्र में कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीप्रेडेंस इनोवेशन्स (सीईपीआई) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)

के बीच

सहमति ज्ञापन

प्रस्तावना

इस सहमित ज्ञापन को आगे "एमओयू" के रूप में संदर्भित किया गया है

i) कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीप्रेडेंस इनोवेशन्स (तत्पश्चात यह **"सीईपीआई"** के रूप में संदर्भित है), जिसका कार्यालय स्कोयेन एट्रियम, अस्केक्रोकेन 11, 0277, ओस्लो, नॉर्वे में स्थित है;

और

ii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (तत्पश्चात यह **"आईसीएमआर"** के रूप में संदर्भित है) जिसका कार्यालय अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029, भारत में स्थित है:

तत्पश्चात संयुक्त रूप से 'पक्षों' और अलग-अलग "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया गया:

जबिक आईसीएमआर जैव चिकित्सा अनुसंधान के फॉर्मुलेशन और समन्वय के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख संस्थान है। यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अनुसंधान प्राथमिकताएँ संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं; प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य और पोषण में सुधार; पारंपरिक चिकित्सा सहित मौलिक चिकित्सा विज्ञान और औषध अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आईसीएमआर इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान के माध्यम से देश में जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

जबिक सीईपीआई एक गैर-लाभकारी नॉर्वेजियन एसोसिएशन ("फोरेनिंग") है जो नॉर्वेजियन कानून के तहत पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या 917 687 811 है। सीईपीआई का अधिदेश उभरते संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकों के विकास में तेजी लाना और उन टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

जबिक दोनों पक्ष यह मानते हैं कि प्रस्तावित सहयोग में व्यापक प्रकृति में व्यापक रूप से उभरते और पुन: उभरने वाले संक्रामक रोगों से निपटने के लिए टीके विकसित करने के लिए अपने-अपने और सहयोगी प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए समन्वय और सहयोग करना शामिल है। दोनों पक्ष एक आधार स्थापित करने हेतु इस सहमित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं, जिस पर वे अपने संबंधों को और अधिक विकसित कर सके हैं और उभरते और पुन: उभरने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम, उपचार और/या इलाज के

लिए सुलभ और सस्ते टीकों के विकास और मूल्यांकन का समर्थन करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सके हैं।

आपस में सहयोग और सहभागिता बढ़ाने तथा सहमित ज्ञापन के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए उचित कार्य व्यवस्था स्थापित करने के **इच्छुक है**;

दोनों पक्ष निम्नलिखित सहमति पर पहुँचे हैं:

अनुच्छेद 1: उद्देश्य/लक्ष्य

यह सहमित ज्ञापन दोनों पक्षों के साझा उद्देश्यों को रेखांकित करता है और उभरते और पुन: उभरने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम, उपचार और/या इलाज के लिए सुलभ और सस्ते टीकों के विकास एवं मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए उनसे संबंधित और सहयोगी प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उनके समन्वय और सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता हैं।

अनुच्छेद 2: सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष अपने-अपने मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप अपने सहयोग को मजबूत करने का प्रयोजन रखते हैं। प्रारंभिक सहयोगात्मक गतिविधियों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- i) प्राथमिकता वाले रोगजनकों के खिलाफ टीकों के लिए नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल्स की योजना बनाना, विकसित करना और लागू करना।
- ii) स्वास्थ्य कर्मियों और शोधकर्ताओं की क्षमता को मजबूत करना।
- iii) महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन तैयार करना और उनका संचालन करना।
- iv) मानकों, परख और निदान का विकास करना।
- v) महामारी विज्ञान डाटा-संचालित प्राथमिकता प्रक्रिया का विकास करना।
- vi) वैज्ञानिक बैठकों और सम्मेलनों का सह-प्रायोजन और सह-आयोजन करना।
- vii) सहयोग के अन्य क्षेत्र जो पारस्परिक रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 3: समन्वय/वित्तपोषण व्यवस्था के साधन

दोनों पक्षों के बीच किसी भी गतिविधि या परियोजना का कार्यान्वयन संविदा के अधीन है। किसी भी गतिविधि को लागू करने से पहले, दोनों पक्ष प्रत्येक पक्ष की संतुष्टि के लिए शामिल मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दोनों पक्ष संबंधों को नियंत्रित करने के लिए परियोजना या विशिष्ट कार्यक्रम, व्यापक, निर्णायक, कानूनी रूप से बाध्यकारी करारों (प्रत्येक एक "करार") में प्रवेश करेंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के प्रत्येक पक्ष के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ और ऐसी गतिविधियों के संबंध में वित्तीय योगदान या अन्य सहायता (यदि कोई हो) शामिल हैं।

इस सहमित ज्ञापन में प्रवेश करने से, दोनों पक्षों का प्रयोजन CEPI और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच पहले से चल रही सहयोगी गतिविधियों के साथ किसी तरह का हस्तक्षेप करने का नहीं है, जिसका शीर्षक - " इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रीप्रेडेंस थ्रो रेपिड वेक्सीन डवलमेंट " है। यह सहमित ज्ञापन दोनों पक्षों पर कोई राजकोषीय, वित्तीय या अन्य वित्तपोषण का दायित्व नहीं थोपता है। इस सहमित ज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों पक्षों को धनराशि, सेवाओं या आपूर्तियों को खर्च करने, विनिमय करने या प्रतिपूर्ति करने, या मूल्यवान वस्तुएँ हस्तांतिरत करने या प्राप्त करने, या कोई संविदा, सहायता करार, अंतर-एजेंसी सहमित या अन्य वित्तीय दायित्व के लिए प्राधिकृत या बाध्य करता हो। दोनों पक्षों का प्रयोजन है कि दोनों पक्षों के बीच कोई भी वित्तीय व्यवस्था अलग-अलग करारों के अधीन हो।

इस एमओयू के संबंध में अपनी लागतों और खर्चों के लिए प्रत्येक पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें (सीमा के बिना) इस एमओयू के लिए तैयारी और बातचीत और उनके द्वारा परिकल्पित कोई भी दस्तावेज (जब तक कि लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो) शामिल है। कोई भी पक्ष किसी भी समय कोई कारण बताए बिना या दूसरे पक्ष या किसी तीसरे पक्ष के प्रति कोई दायित्व निभाए बिना इस एमओयू के संबंध में बातचीत समाप्त कर सकता है।

अनुच्छेद 4: नियमन और प्रबंधन

दोनों पक्ष प्रत्येक संगठन के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) या संयुक्त संचालन सिमित (जेएससी) स्थापित करेंगे। जेडब्ल्यूजी वर्ष में एक बार या यथा आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित करेगा। जेडब्ल्यूजी सत्र भारत या नॉर्वे में या वस्तुतः, दोनों पक्षों की आपसी सुविधा के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यात्रा से संबंधित प्रत्येक पक्ष के खर्च, जिसमें वीजा प्रविष्टि, आवास, प्रतिदिन भत्ता, स्वास्थ्य बीमा और/या अपने जेडब्ल्यूजी सदस्यों के स्थानीय परिवहन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, भेजने वाले पक्ष द्वारा वहन किए जाएंगे, जबिक जेडब्ल्यूजी बैठकों का संगठनात्मक खर्च मेजबान पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

जेडब्यलूजी निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:

- i) इस सहमित ज्ञापन के तहत दोनों पक्षों के सहयोग का अवलोकन करना और समग्र दिशा प्रदान करना तथा सहमित ज्ञापन के तहत किसी भी गतिविधि के संबंध में अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा;
- ii) इस सहमित ज्ञापन के तहत दोनों पक्षों के सहयोग को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रगति की समीक्षा करना तथा दोनों पक्षों को निरीक्षण और सहायता प्रणाली की सिफारिश करना।
- iii) दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान समन्वय के लिए विशेष सामरिक महत्व के सामयिक क्षेत्रों की पहचान करना और संयुक्त वित्त पोषण के विषयों का प्रस्ताव/प्राथमिकता निर्धारित करना।

अनुच्छेद 5: बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यावसायीकरण और प्रकाशन

बौद्धिक संपदा अधिकार:

- i) दोनों पक्ष इस सहमित ज्ञापन के तहत सहयोग से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों की उचित सुरक्षा अपने-अपने देशों के कानूनों, नियमों और विनियमों तथा बहुपक्षीय करारों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे, जिन देशों के वे पक्षकार है।
- ii) दोनों पक्ष इस सहमित ज्ञापन में उल्लेकखित गतिविधियों या परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी बौद्धिक संपदा/या डेटा में अपने-अपने अधिकारों को नियंत्रित करने वाले नियमों को कानूनी रूप से बाध्यकारी करार (रों) में स्पष्ट करेंगे।

व्यावसायीकरण:

इस सहमित ज्ञापन के तहत व्यावसायीकरण अपेक्षित नहीं है। यदि, इस सहमित ज्ञापन के तहत संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से अनुसंधान परिणाम प्राप्त होते है, तो उन पर एक स्वतंत्र करार के तहत एक अलग मामले के रूप में विचार किया जाएगा।

प्रकाशन:

- i) इस सहमित ज्ञापन के तहत दोनों पक्षों द्वारा किए गए संयुक्त कार्य से उत्पन्न कोई भी प्रकाशन, दस्तावेज़ और/या पेपर में आईसीएमआर-सीईपीआई की साझेदारी को स्वीकार किया जाना चाहिए और मानक शैक्षणिक अभ्यास के अनुसार दोनों पक्षों के संयुक्त स्वामित्व में होगा। आईसीएमआर को इस सहमित ज्ञापन से संबंधित सभी प्रकाशनों और प्रेस विज्ञप्तियों को विधिवत रूप से स्वीकार करना चाहिए।
- ii) किसी भी प्रकाशन, ब्रोशर, दस्तावेज और/या कागज पर पक्षों के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक के उपयोग के लिए दोनों पक्षों की पूर्व अनुमित लेने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधिकारिक रूप से प्रतीक और लोगो का दुरुपयोग न हो।
- iii) प्रत्येक पक्ष को इस सहमित ज्ञापन या किसी अन्य करार के तहत दोनों पक्षों की गतिविधियों के संबंध में कोई भी प्रेस विज्ञप्ति, सार्वजिनक घोषणा या मीडिया में बयान देने से पहले प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष से पूर्व लिखित अनुमित लेनी होगी।
- iv) प्रत्येक पक्ष इस सहमित ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रस्तावित प्रकाशन/प्रेस विज्ञप्ति में दूसरे पक्ष द्वारा शामिल किए जाने के लिए कोई भी संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुच्छेद 6 : न्यायसंगत अभिगम और हित साझाकरण

- i) आईसीएमआर, सीईपीआई द्वारा समर्थित सभी कार्यक्रमों के पिरणामों तक एक समान पहुंच प्राप्त करने की सीईपीआई की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है, जिसमें टीके, प्लेटफॉर्म, डेटा, पिरणाम और सामग्री शामिल हैं। विशेष रूप से, आईसीएमआर मानता है कि प्रकोप से संबंधित महामारी के टीकों के बारे में सीईपीआई की न्यायसंगत पहुंच की नीति के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त टीके सबसे पहले जनता को उपलब्ध करवाएं जाए, जब और जहां उनकी आवश्यकता हो, तािक प्रकोप को समाप्त किया जा सके या महामारी को कम किया जा सके, भले ही भुगतान करने की क्षमता हो या न हो। सीईपीआई की न्यायसंगत पहुंच की नीित का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन से संबंधित शोध से होने वाले कोई भी व्यापक लाभ जरूरतमंद समुदायों तक (परिणामी टीकों की पहुंच सिहत), भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना पहुंचे।
- ii) दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं कि इसके वित्तपोषण से प्राप्त होने वाले डेटा, परिणामों और प्रकाशनों तक मुक्त पहुँच सुनिश्चित करना और वैक्सीन के विकास में तेज़ी लाने के लिए सामग्री तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, दोनों पक्षों के वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से, अपने निष्कर्षों को किसी भी वैज्ञानिक या चिकित्सा पत्रिका या अन्य प्रकाशन में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो विशेष रूप से इस सहमति ज्ञापन में शामिल किए गए क्षेत्रों में किए गए कार्य से संबंधित हो।
- iii) "ओपन एक्सेस" पर सीईपीआई की नीतियों के अनुसार, सीईपीआई द्वारा वित्तपोषित किसी भी परियोजना से संबंधित सभी शोध प्रकाशनों, जर्नल के लेख, विद्वानों के संभाषणों और पुस्तक के अध्यायों की अंतिम पांडुलिपि की एक प्रति PubMed Central (या यूरोप PubMed Central) में जमा की जानी चाहिए या

प्रकाशन हेतु स्वीकृति मिलने पर या प्रकाशक की अंतिम प्रकाशन की आधिकारिक तारीख के तुरंत बाद स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सीईपीआई द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशित शोध "प्लान एस" (इस एमोयू की के लागू होने की तारीख के अनुसार उपलब्ध ओपन एक्सेस सिद्धांतों के अनुसार https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/) पर प्रकाशित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7 : गोपनीयता

- i) इस सहमित ज्ञापन की अविध के दौरान और इसकी समाप्ति के बाद पाँच (5) वर्षों की अविध के लिए, प्रत्येक पक्ष, उनके सहयोगी, कर्मचारी और एजेंट दूसरे पक्ष की किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। "गोपनीय जानकारी" में कोई भी और सभी गैर-सार्वजिनक सूचना शामिल होगी जो अपनी प्रकृति या इसके प्रकटीकरण के तरीके से गोपनीय जानकारी यथोचित रूप से पहचानने योग्य है।
- ii) कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमित लिए बिना इस सहमित ज्ञापन से उत्पन्न या इससे संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यावसायीकरण या किसी अन्य सहयोगी कार्य के परिणामों से संबंधित किसी भी जानकारी की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा।
- iii) इस सहमित ज्ञापन के अनुसार आदान-प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी और दस्तावेजों को दोनों पक्षों द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और उनका उपयोग प्रत्येक पक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाएगा। गोपनीय सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष, जानकारी देने वाले पक्ष की लिखित अनुमित लिये बिना विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग नहीं करेगा।
- iv) सभी गोपनीय जानकारी खुलासा करने वाले पक्ष की अनन्य संपत्ति बनी रहेगी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि गोपनीय जानकारी का खुलासा प्राप्तकर्ता को दूसरे पक्ष के किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में कोई लाइसेंस, हित या अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- v) वैज्ञानिकों या तकनीशियनों द्वारा खोजी गई या परिकल्पित की गई और इस सहमित ज्ञापन के प्रावधानों के तहत आदान-प्रदान की गई अप्रकाशित जानकारी, चाहे मौखिक हो, लिखित हो या अन्यथा, किसी तीसरे पक्ष को प्रेषित नहीं करेगा, जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमित न दी हो।
- vi) इस सहमित ज्ञापन के अंतर्गत अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए प्रत्येक पक्ष यह स्वीकार करता है और सहमित प्रदान करता है कि वे (लागू डाटा संरक्षण कानून के अर्थ में है) संरक्षण एक डाटा नियंत्रक के अधीन है। और इस एमओयू के खंड के संबंध में अपने-अपने संबंधित लागू कानूनों के अनुसार एकत्रित या अन्यथा प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत डेटा के भंडारण, प्रसंस्करण, संचरण और संरक्षण के लिए प्रत्येक पक्ष जिम्मेदार होगा, जिसमें (i) सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) संख्या 2016/679 दिनांक 27 अप्रैल 2016 और कोई अन्य ईयू या सदस्य राज्य कानून, विनियमन, सिफारिश या राय शामिल है जो जीडीपीआर को प्रतिस्थापित, जोड़ती या संशोधित, विस्तारित, पुनर्गठन या समेकित करती है और (ii) भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून जिसमें "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000" और "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" शामिल हैं।
- vii) हस्तांतरण, साझेदारी या व्यक्तिगत डेटा से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार (उचित डेटा सुरक्षा कानून के अर्थ में) सभी करारों या उनसे संबंधित लागू कानूनों के अनुसार अलग-अलग डेटा हस्तांतरण के करार शामिल किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8: नैतिक मुद्दे/जैविक सामग्री का हस्तांतरण/आंकडों का साझाकरण

- i) दोनों पक्ष किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानव और पशु विषयों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं। दोनों पक्ष मानव और पशु विषयों की सुरक्षा से संबंधित सभी लागू कानूनों, विनियमों और नीतियों का अनुपालन करने का प्रयोजन रखते हैं, जिसमें जैविक सामग्रियों का हस्तांतरण भी शामिल है। जैविक सामग्रियों के हस्तांतरण से संबंधित या उससे जुड़ी किसी भी संयुक्त गतिविधि के कार्यान्वयन से पहले प्रत्येक पक्ष से अनुमोदन लेना आवश्यक है।
- ii) सीईपीआई और आईसीएमआर की संयुक्त गितविधियों को अंजाम देने में लगे किसी भी प्राधिकृत कार्मिक को अपने निष्कर्षों को भारत में उन संस्थानों के साथ भी साझा करना चाहिए जो प्रासंगिक नीति को सूचित करने और/या आकार देने में लगे हुए हैं। ऐसे निष्कर्षों से इस बात का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए कि यह कार्य भारत और बाकी दुनिया में नीति और व्यवहार को कैसे सूचित करता है। दोनों पक्ष सीईपीआई और आईसीएमआर की संयुक्त गितविधियों को अंजाम देने में लगे किसी भी कार्मिक को अपने सह-वित्तपोषित कार्य से उत्पन्न डेटा को खुली पहुँच (open access) में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- iii) "ओपन डेटा" पर सीईपीआई नीतियों के अनुसार सीईपीआई द्वारा वित्तपोषित किसी परियोजना से उत्पन्न डेटा (क्लिनिकल परीक्षण डेटा सिहत) और परिणामों (नकारात्मक परिणाम सिहत) को वित्तपोषित परियोजना के पूरा होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र सार्वजिनक रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। विशेष रूप से व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संबंध में, ऐसा कोई भी सार्वजिनक प्रकटीकरण प्रत्येक देश के संबंधित लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।

अनुच्छेद 9: विवाद

- i) इस एमओयू की व्याख्या या कार्यांवयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षों के बीच परामर्श और बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।
- ii) यदि किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में बैठक आयोजित करने के अनुरोध की सूचना देने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद का समाधान भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और समय-समय पर संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।
- iii) इस सहमित ज्ञापन के निर्माण, अर्थ, कार्य-क्षेत्र, संचालन या प्रभाव या इसके उल्लंघन की वैधता या इससे जुड़े या इससे उत्पन्न किसी पिरभाषित कानूनी संबंध के लिए दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी अनसुलझे विवाद या मतभेद की मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के तत्वावधान में काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। आईसीएडीआर मध्यस्थ (मध्यस्थों) की नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण होगा। इस खंड के तहत मध्यस्थता और आईसीएडीआर द्वारा प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान आईसीएडीआर मध्यस्थता नियम, 1996 और भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होगा। इसके अनुसरण में किया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। इस खंड का प्रावधान सहमित ज्ञापन की अविध समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने या समाप्त होने या बंद होने के बावजूद भी निष्क्रिय नहीं होगा।
- iv) यह सहमित ज्ञापन और इससे या इसकी विषय-वस्तु या गठन से संबंधित कोई भी विवाद या दावा (गैर-संविदात्मक विवाद या दावे सिहत) भारत के मूल कानूनों के अनुसार शासित होगा और उनके अनुसार ही व्याख्या की जाएगी।

अनुच्छेद 10: विविध

- i) कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं: प्रत्येक पक्ष यह स्वीकार करता है कि दूसरे पक्ष या उसके प्रतिनिधियों द्वारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया/नहीं किया जाएगा या वारंटी नहीं दी गई है या नहीं दी जाएगी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस सहमित ज्ञापन (mou) के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा या उसकी ओर से दी गई किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से किसी भी पक्ष या उसके प्रतिनिधि का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। केवल वे ही दायित्व लागू होंगे जो दोनों पक्षों के बीच हुए कानूनी रूप से बाध्य किसी करार में निर्धारित किए गए हों। संदेह से बचने के लिए, इस प्रावधान की व्याख्या धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायित्व को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं की जाएगी।
- ii) तीसरे पक्ष के अधिकार: यह सहमित ज्ञापन दोनों पक्षों के लाभ के लिए है और इसका उद्देश्य किसी अन्य को लाभ पहुंचाने या किसी अन्य पर लागू करने के लिए नहीं है।
- iii) कोई एजेंसी या भागीदारी नहीं: इस सहमित ज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच कोई साझेदारी या संयुक्त उद्यम स्थापित करना, किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष का एजेंट नियुक्त करना या किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए या उसकी ओर से कोई प्रतिबद्धता बनाने या उसमें शामिल होने के लिए प्राधिकृत करना नहीं है। प्रत्येक पक्ष यह पुष्टि करता है कि वे अपने लिए कार्य कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं।
- iv) विशिष्टताः दोनों पक्ष समझते हैं कि उनका संबंध अनन्य नहीं है और इस सहमित ज्ञापन में प्रवेश करने से किसी भी पक्ष को समान कार्यक्रम या गतिविधियों के संचालन के उद्देश्य से किसी अन्य पक्ष के साथ जुड़ने से नहीं रोका जाएगा।
- v) उत्तरजीविता: यदि किसी भी समय इस सहमित ज्ञापन को कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों और शर्तों में से एक या अधिक को अप्रवर्तनीय या शून्य माना जाता है, तो उसे प्रावधान/सहमित ज्ञापन के शेष भाग से अलग कर दिया जाएगा और अलग किए जाने वाले भाग को समान नियमों या शर्तों से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।
- vi) अधित्याग: इस सहमित ज्ञापन के किसी भी पहलू को लागू करने या बनाए रखने में विफल होने से इस सहमित ज्ञापन के किसी अन्य पहलू पर छूट नहीं होगी।

अनुच्छेद 11: कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाने का प्रयोजन नहीं

इस सहमित ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी, कानूनी दायित्व बनाना नहीं है। इस सहमित ज्ञापन का उद्देश्य एक साथ काम करने के बुनियादी सिद्धांतों पर दोनों पक्षों की आपसी समझ को मजबूत करना है।

यदि भविष्य में कोई भी पक्ष एक या अधिक सहयोगी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो वे ऐसे करार करेंगे जिसमें कार्य की उचित सहमित का दायरा और बजटीय आवश्यकताएं शामिल होंगी। संदेह से बचने के लिए, इस सहमित ज्ञापन में कोई भी बात किसी भी पक्ष को उसके सामान्य व्यवहार, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी करार की शर्तों पर बातचीत करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 12: अवधि

यह सहमित ज्ञापन दोनो पक्षों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा और 5 वर्षों की अविध के लिए वैध रहेगा। आगामी 5 वर्षों की अविध के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

अनुच्छेद 13: समापन

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को 3 महीने पहले लिखित नोटिस देकर इस सहमति ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। दोनों पक्षों के बीच हुए अन्य करारों की वैधता या लागू करने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी (जब तक कि ऐसी सहमति के लिए अन्यथा प्रावधान न किया जाएं)।

अनुच्छेद 14: संशोधन

इस सहमित ज्ञापन में संशोधन, पुनरीक्षण या आशोधन का प्रस्ताव इस सहमित ज्ञापन की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनो पक्ष लिखित रूप में आपसी सहमित से इस सहमति ज्ञापन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं।

इस सहमित ज्ञापन पर अधोहस्ताक्षरियों ने अपने -अपने संगठनों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर ही हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2025 के ____ दिन ___ को, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की हस्ताक्षर किए गए दो मूल प्रतियों पर दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। यदि व्याख्या में कोई अंतर आता है, तो इसका अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कृते - कॉलिशन फॉर एपिडेमिक कृते भारतीय (आईसीएमआर) इनोवेशन्स (सीईपीआई)

Signed by: Dr Rajin Balil

डॉ. राजीव बहल

सचिव डीएचआर एवं महानिदेशक, आईसीएमआर

R121311

डॉ. रिचर्ड हैचेट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईपीआई